दैनिक
बुद्ध का संदेश
हिन्दी समाचार पत्र
एक विश्वास....

सेव सेल्फ यात्रा .को राष्ट्रीय मिशन ...8

सिद्धार्थनगर
गुरुवार, 02 अप्रैल 2026
वर्ष: 13 अंक : 105 पृष्ठ: 8
आमंत्रण मूल्य 2/–रूपया

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित ।

सम्पादक : राजेश शर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश 8795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

यूपी में बेमौसम बारिश का कहर

सीएम एक्शन मोड में, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के कई जिलों में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों से बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हो रही दिक्कतों के बारे में रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसानों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने, संपूर्ण आंकड़े संकलित करने और किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को फसलों को हुए नुकसान का तत्काल संयुक्त सर्वेक्षण करने और सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया ताकि मुआवजा बिना किसी देरी के दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार हर आपदा में राज्य की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। हाल ही में हुई बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान की भरपाई पहले ही की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि हाल ही में हुई बारिश से हुए नुकसान का भी तुरंत आकलन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों के हित में संवेदनशीलता से काम करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्थिति का आकलन करने और प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सटीक मूल्यांकन करने के लिए मौके पर मौजूद रहें ताकि किसानों को समय पर सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने कृषि प्रधान सचिव और राहत आयुक्त को भी निर्देश दिया कि वे जमीनी अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखें और समन्वय

ईरान यु) कब होगा खत्म ? ट्रंप ने वेंस को सौंपी सीजफायर की जिम्मेदारी! कहा– तेहरान को कर लो राजी

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सीजफायर की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान, कतर, तुर्किए के माध्यम से ईरान को अपना संदेश भेजा है। रॉयटर के अनुसार, ट्रंप ने वेंस को निर्देश दिया है कि वे मध्यस्थों (पाकिस्तान, कतर, तुर्किए) को बताएं, अमेरिका सीजफायर के लिए तैयार है, लेकिन इसमें मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। इनमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत खोलना शामिल है, ताकि तेल परिवहन सामान्य हो सके ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ये शर्तें नहीं मानी गईं तो ईरानी पावर ग्रिड, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। उन्होंने छह अप्रैल तक की डेडलाइन का जिक्र भी किया है।

शहीद पिता के नक्शे कदम पर चलेगा ईरान

जारी रहेगा प्रतिरोधय मोजतबा ने इजरायल-अमेरिका को दी सीधी चेतावनी

नई दिल्ली। ईरान–इजरायल संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, एक तरफ अमेरिका

सीजफायर की बात कर रहा है तो ईरान लगातार इस बात को नकार रहा है। इस बीच मोजतबा खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद मोजतबा खामेनेई ने बुधवार को एक संदेश में जोर देकर कहा कि इस्लामी गणराज्य इमाम खोमैनी और अपने शहीद पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के मार्ग पर अडिग रहते हुए श्जायोनी–अमेरिकीश शत्रु के खिलाफ प्रतिरोध का समर्थन जारी रखेगा। मोजतबा खामेनेई ने लेबनान के हिजबुल्लाह महासचिव शेख नईम कासिम को लिखे पत्र में कहा कि मैं दृढ़तापूर्वक घोषणा करता हूं कि इमाम खोमैनी और शहीद नेता के मार्ग पर चलते हुए, इस्लामी गणराज्य ईरान की निरंतर नीति जायोनी–अमेरिकी शत्रु के विरुद्ध प्रतिरोध का समर्थन जारी रखना है। यह संदेश ऐसे समय में आया है जब फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों (ऑपरेशन एपिक फ्यूरी) में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई समेत कई उच्च अधिकारी मारे गए थे। मोजतबा खामेनेई ने इस पत्र में शहीद नेता की स्थिरता और दृढ़ता की तारीफ की और हिजबुल्लाह के प्रति समर्थन जताया।

कोई युद्धविराम प्रस्ताव नहीं-विदेश मंती अराघची

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि देश ने कोई युद्धविराम प्रस्ताव नहीं दिया है। अल जजीरा और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अराघची ने मीडिया में चर्चित पांच सूत्री योजना को सिर्फ अटकलें करार दिया। अराघची ने कहा कि युद्ध तब तक चलेगा जब तक आक्रांता को सजा न मिले। ईरानी नेतृत्व का यह रुख साफ संकेत देता है कि तेहरान संघर्ष को समाप्त करने के बजाय "प्रतिरोध की नीति" पर कायम रहने का फैसला किया है,

असम से पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले–

घुसपैठियों को बसाना चाहती है पार्टी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि असम ने पिछले दस वर्षों में उल्लेखनीय विकास देखा है और उन्हें विश्वास है कि राज्य की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। गोगमुख में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों का उत्साह निरंतर विकास और स्थिरता के प्रति उनके समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि यह चुनाव विकसित भारत की परिकल्पना को आकार देगा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने का है... भाजपा असम में फिर से सरकार बनाएगी और हैट्रिक बनाएगी। उनकी ये टिप्पणियां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य भर में पार्टी के प्रचार अभियान तेज करने के बीच आईं, जो 9 अप्रैल को होने वाले हैं। मोदी ने कहा कि असम के चुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जनसमुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों–बेटियों का ये आशीर्वाद, ये प्यार इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इस मैदान में भी हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है, मैं यहां तीसरी बार आया हूं। और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। मोदी ने कहा कि पहले सर्वानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हिमंता विश्व शर्मा जी की अगुवाई में असम ने बीते 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम के ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार भाजपा–छक। सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। और कांग्रेस की पराजय की हैट्रिक भी तय है। और कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार की पराजय की सेंचुरी लगने वाली है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बैदेउ बन चुकी हैं। कल असम भाजपा ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को लखपति बैदेउ बनाने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में समान नागरिक संहिता लागू करना और हमारे आदिवासी समाज, छठी अनुसूची क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, असम की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना...ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम मिल चुका है। लेकिन भाजपा–छक। सरकार का निरन्तर प्रयास है कि बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले। भाजपा सरकार सैंकड़ों करोड़ रुपये यहां आधुनिक तटबंध बनाने पर खर्च कर रही है। मोदी ने कहा कि एक समय था, जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी। अब असम को दुनिया, चाय के साथ–साथ चिप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं, जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चिप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फोन हों, गाड़ियां हों, टीवी, फ्रिज हों, ये सभी सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं। यही विकसित असम का हमारा रोडमैप है।

संसद का जारी बजट सत्र आगे बढ़ेगा! एजेंडे में स्वोंईीं सीटों में बढ़ोतरी और महिला आरक्षण

संसद का जारी बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संसद के अप्रैल के तीसरे सप्ताह में पुनः सत्र शुरू होने की संभावना है। प्रमुख एजेंडा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और परिसीमन आयोग विधेयक का परिचय शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि स्थगन के समय तिथियों की घोषणा की जाएगी। इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए 33: आरक्षण सुनिश्चित करना है। इसे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के बाद लागू किया जाना है। सरकार इन परिवर्तनों को 31 मार्च, 2029 तक लागू करने के लिए संसद की मंजूरी का इंतजार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के कुछ घटक दलों और चुनिंदा विपक्षी नेताओं से इस मामले पर चर्चा की है, हालांकि कांग्रेस औ

ईरान हमारा युद्ध नहीं है, ब्रिटेन के पीएम ने किया ट्रंप को साफ, नहीं होंगे इसमें शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से पहले ईरान, इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में हमले जारी रहे। इसी बीच, तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास के परिसर में हवाई हमला होने की आशंका है। ट्रंप के इस बयान के बावजूद कि युद्ध दो से तीन हफ्तों में समाप्त हो जाएगा और अमेरिकी सैनिक जल्द ही ईरान छोड़ देंगे, तनाव और बढ़ गया। ब्रिटेन में होगा होर्मुज जलडमरूमध्य शिखर सम्मेलन: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन इस सप्ताह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय राजनयिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। स्टारमर ने कहा कि 35 देशों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग पर समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव यवेट कूपर इस मुद्दे पर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगी और सैन्य योजनाकार भी ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद सुरक्षा के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं। स्टारमर ने कहा कि स्थिरता बहाल करने के लिए ष्सैन्य शक्ति और राजनयिक गतिविधियों का एक संयुक्त मोर्चाष आवश्यक है। ट्रंप की नाटो संबंधी टिप्पणी पर स्टारमर का पलटवार: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार करने के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे शोर–शराबे के बावजूद देश के हित में कार्य करेंगे।

अमेरिका–इजरायल के हमलों में मध्य और दक्षिण–पश्चिम ईरान के इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाया गया

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को अमेरिका–इजरायल के हमलों में मध्य और दक्षिण–पश्चिम ईरान के इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाया गया। टेलीग्राफ अखबार के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है ईरान युद्ध लाइवरू ब्रिटेन के डेली टेलीग्राफ को दिए एक साक्षात्कार के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में सहयोगियों के समर्थन न देने के बाद वे नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने गठबंधन को ष्कागजी शेरष बताया और कहा कि रक्षा समझौते से अमेरिका को हटाना अब ष्पुनर्विचार से परेष है। उन्होंने कहा कि उन्हें नाटो की विश्वसनीयता पर लंबे समय से संदेह रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे संघर्ष के बाद गठबंधन की अमेरिकी सदस्यता पर पुनर्विचार करेंगे, तो ट्रंप ने अखबार से कहा, ष्हां, मैं कहूंगा कि यह पुनर्विचार से परे है।

आंध्र प्रदेश की राजधानी पर 10 साल का सस्पेंस खत्म, लोकसभा में अमरावती विधेयक पास

लोकसभा ने बुधवार, 1 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया, जिसमें अमरावती को औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई, जिससे 2014 में राज्य के विभाजन के बाद से सरकार की सीट को लेकर एक दशक से अधिक समय से चली आ रही अनिश्चितता का अंत हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा प्रस्तुत विधेयक लगभग सभी दलों के समर्थन से ध्वनि मत से पारित हो गया। हालांकि, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने यह कहते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया कि विधेयक में अमरावती के विकास के लिए अपनी जमीन छोड़ने वाले किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक समयसीमा शामिल होनी चाहिए थी। संशोधन के तहत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5(2) में एक नई राजधानी होगी के स्थान पर और अमरावती नई राजधानी होगी शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।

2014 के अधिनियम में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और नवगठित तेलंगाना की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था, जो अधिकतम 10 वर्षों के लिए लागू होना था। इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना

पश्चिम बंगाल एसआईआर केस: 47 लाख आपत्तियों के निपटारे से सुप्रीम कोर्ट खुश, कलकत्ता एचसी ने दी जानकारी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में प्राप्त 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ ने बताया कि उन्हें मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक पत्र प्राप्त हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ष्हम तथ्यों और आंकड़ों से बेहद खुश और आशावादी हैं। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया है कि प्रतिदिन लगभग 175 लाख से 2 लाख आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बताया है कि 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय को आगे सूचित किया कि प्रतिदिन लगभग 175,000 से 200,000 आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है और सभी आपत्तियों का निपटारा 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा।

बंगाल चुनाव से पहले फॉर्म 6 पर नया बवाल

चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बीजेपी–टीएमसी में क्यों हुई झड़प?

मतदान के लिए मात्र 22 दिन शेष हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अशांति जारी है। फॉर्म 6 जमा करने को लेकर झड़पें, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं पर हमले और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कथित प्रयासों ने जमीनी स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। कोलकाता में, आज (1 अप्रैल) फॉर्म 6 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक बार फिर भारी अराजकता की आशंका है। अधिकारियों को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं की भारी लामबंदी का डर है, जिन्होंने कल इसी स्थान पर अशांति फैलाई थी। मंगलवार (31 मार्च) को, टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर नाटकीय दृश्य देखने को मिले। इस टकराव ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर स्थिति को भड़काने का आरोप लगाया। अराजकता की वजह क्या थी?: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मेदिनीपुर का एक व्यक्ति चुनाव आयोग कार्यालय में एक बैग लेकर पहुँचा। टीएमसी कार्यकर्ताओं को संदेह हुआ कि बैग में फॉर्म 6 के भरे हुए आवेदन थे, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटवाना था। समूह ने उसे रोका, जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। हालांकि, भाजपा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उस व्यक्ति का ष्पार्टी से कोई संबंध नहीं थाष और वह केवल एक आम नागरिक था जो निजी काम से आया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

बिना अनुमति मदरसा खोलने की कोशिश पर प्रशासन की छापेमारी, भवन बंद

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड संख्या 7 सुभाष नगर में एक मकान में कथित रूप से बिना अनुमति मदरसा संचालित करने की तैयारी का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर सूचना वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जांच की। जानकारी के अनुसार, सेठ राम कुमार खेतान बालिका इंटर कॉलेज के पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले चकरोड मार्ग के आगे एकांत स्थान पर स्थित एक मकान में मदरसा संचालन की तैयारी की जा रही थी। आरोप है कि इस कार्य में मौलाना मुमताज अहमद (निवासी डबरा, थाना मिश्रौलिया), मोहम्मद अल्ताफ हुसैन (निवासी जुगडिहवा, थाना शोहरतगढ़) तथा जहीर शाह शामिल हैं। बुधवार शाम करीब चार बजे उद्घाटन की भी योजना बताई जा रही थी। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि करीब तीन वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर मदरसा निर्माण का प्रयास किया गया था, जिसे बिना अनुमति अवैध मानते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर रुकवा दिया गया था। उस समय संबंधित पक्षों ने लिखित आश्वासन दिया था कि भवन का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अब पुनः उसी भवन में मदरसा संचालन की तैयारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि यह किसकी अनुमति से किया जा रहा है। मामले पर उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल सूचना का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव एवं प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान भवन में मौजूद महिलाओं से महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ की गई तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया।दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर तहसील प्रशासन ने एहतियातन भवन को अस्थायी रूप से बंद करा दिया है और संबंधित पक्षों को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक संघ की समीक्षा बैठक संपन्न, आंदोलन को लेकर बनी रणनीति

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में टी.ई.टी. से मुक्ति हेतु 4 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित विशाल धरना–प्रदर्शन की तैयारियों के क्रम में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए पदाधिकारियों एवं शिक्षक साथियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान आगामी धरना–प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु विस्तृत रणनीति तैयार की गई तथा अधिकाधिक संख्या में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। पर्यवेक्षक आनंद कुमार त्रिपाठी मंडलीय मंत्री, देवी पाटन मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता और सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से 4 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित धरना–प्रदर्शन में बढ़–चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। टीएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने टी.ई.टी. से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। कहा कि समस्त शिक्षक अपने समय निर्धारित योग्यता को पूर्ण करने के बाद ही नियुक्ति पाई थी तो अब नई योग्यता निर्धारित करना गलत है। केंद्र सरकार को शिक्षकों के हित में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिला मंत्री योगेंद्र पांडेय ने कहा कि शिक्षकों को एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने में जुटना होगा और अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचना होगा। जूनियर शिक्षक संघ के ज़िलाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र व महामंत्री कलीमुल्लाह ने आंदोलन की सफलता के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राघवेंद्र तिवारी को उस्का बाजार इकाई का संगठन मंत्री व दुर्गेश पांडेय को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया।

कार्यालय : ग्राम पंचायत- बगही,
वि.ख.- उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बगही** विकास खण्ड–उसका बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 10.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 09.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **बगही** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानाॅ सचिवाॅ सदस्याॅ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बगही** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सुमन देवी
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत– बगही
वि.ख. – उसका बाजार

कृतिका पाण्डेय
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत– बगही
वि.ख. – उसका बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- मेहदिया बुजुर्ग,
वि.ख.- उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मेहदिया बुजुर्ग** विकास खण्ड–उसका बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 10.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 04.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **मेहदिया बुजुर्ग** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानाॅ सचिवाॅ सदस्याॅ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मेहदिया बुजुर्ग** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

हरिराम यादव
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत– मेहदिया बुजुर्ग
वि.ख. – उसका बाजार

कृतिका पाण्डेय
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत– मेहदिया बुजुर्ग
वि.ख. – उसका बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- करमा,
वि.ख.- उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **करमा** विकास खण्ड–उसका बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 16.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 15.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **करमा** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानाॅ सचिवाॅ सदस्याॅ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **करमा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

लवकुश राजभर
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत– करमा
वि.ख. – उसका बाजार

विनोद कुमार
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत– करमा
वि.ख. – उसका बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- भुसौला माफी,
वि.ख.- लोटन बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भुसौला माफी** विकास खण्ड–लोटन बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 12.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 11.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **भुसौला माफी** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानाॅ सचिवाॅ सदस्याॅ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भुसौला माफी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अवधेश कुमार मिश्रा
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत– भुसौला माफी
वि.ख. – लोटन बाजार

दिलीप पटेल
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत– भुसौला माफी
वि.ख. – लोटन बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- गुजरौलिया,
वि.ख.- लोटन बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **गुजरौलिया** विकास खण्ड–लोटन बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 14.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 13.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **गुजरौलिया** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानाॅ सचिवाॅ सदस्याॅ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गुजरौलिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अवधेश कुमार मिश्रा
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत– गुजरौलिया
वि.ख. – लोटन बाजार

दिलीप पटेल
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत– गुजरौलिया
वि.ख. – लोटन बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- भरथूआ,
वि.ख.- मेहदावल, जनपद- संतकबीरनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भरथूआ** विकास खण्ड–मेहदावल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 10.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 09.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **भरथूआ** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानाॅ सचिवाॅ सदस्याॅ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भरथूआ** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अरविन्द यादव
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत–भरथूआ
वि.ख. – मेहदावल

शिवम् दूबे
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत–भरथूआ
वि.ख. – मेहदावल

भाजपा स्थापना दिवस पर बूथ स्तर तक पहुंचेंगे कार्यकर्ता

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी संगठन हरि चरण कुशवाहा उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस दौरान जिला प्रभारी हरि चरण कुशवाहा ने दीपक मौर्य को पार्टी का पटका पहनाकर उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। जिलाध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न चल रहे अभियानों की समीक्षा की और हर माह प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को जन–जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि हरि चरण कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस बूथ, सेक्टर, मंडल और जिला स्तर तक उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर स्वदेशी वस्तुओं से सजावट की जाएगी तथा प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पार्टी के महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर उनकी विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई, महापुरुषों का माल्यार्पण और गरीबों की सेवा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं, सदर विधायक श्याम धनी राही ने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में निवर्तमान जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक कार्यों को निष्ठा के साथ करने का आग्रह करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोदी त्रिपाठी, लाल जी त्रिपाठी, अध्यक्ष प्रतिनिधि जिप. उपेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा शिवनाथ चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी निशांत पांडेय, कार्यक्रम संयोजक विजय कांत चतुर्वेदी, सह संयोजक सचिदानंद चतुर्वेदी, फतेहबहादुर सिंह सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

परशुराम जयंती पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, पूर्व विधायक ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

दैनिक बुद्ध का संदेश

डुमरियागंज/सिद्धार्थनगर। अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर आगामी 19 अप्रैल को डुमरियागंज स्थित राप्ती तट के परशुराम वाटिका में नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर की प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से जायजा लिया। साफ–सफाई, मंच व्यवस्था, श्रद्धालुओं के बैठने की सुविधा, पेयजल, सुरक्षा और आवागमन की सुचारु व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन से जुड़े लोगों को आवश्यक दिशा–निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम पूरी गरिमा, श्रद्धा और अनुशासन के साथ संपन्न होना चाहिए। पूर्व विधायक ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन समिति भी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में जुटी हुई है। इस दौरान ब्लाक प्रमुख संघ अध्यक्ष लवकुश ओझा, हरीश पाण्डेय, रामऔतार वर्मा, राकेश पाण्डेय, गणेश सिंह, राजन, नितिन आदि मौजूद रहे।

स्कूल चलो अभियान 2026–27 का हुआ शुभारम्भ, जनप्रतिनिधियों ने किया अधिक नामांकन का आह्वान

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान 2026–27 का शुभारम्भ अम्बेडकर सभागार में भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही, डुमरियागंज विधायक सैय्यदा खातून, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि एस. पी. अग्रवाल, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने अधिकारियों, शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से घर–घर जाकर अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों का कायाकल्प करते हुए उन्हें फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, बैग, जूते–मोजे और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए सभी शिक्षकों और अधिकारियों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने समय से विद्यालय खुलने, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विधायक सैय्यदा खातून ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों को जागरूक कर अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने की अपील की। सांसद प्रतिनिधि एस.पी. अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा प्राथमिक विद्यालय कृष्णानगर एवं प्राथमिक विद्यालय सनई लंगड़ी के नवप्रवेशी बच्चों को बैग, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, चॉकलेट एवं पेन वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक–शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ी, डीएम ने दिए कड़े निर्देश

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। जनपद में बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स (बर्ड फ्लू) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बर्ड फ्लू एक संक्रामक एवं गंभीर बीमारी है, जो मुख्यतः पक्षियों के माध्यम से फैलती है और कुछ परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकती है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी पोल्ट्री फार्म, मुर्गी बाजार एवं जलाशयों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए गए कि कहीं भी पक्षियों की असामान्य मृत्यु की सूचना मिलने पर तत्काल जांच कर सैंपल प्रयोगशाला भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जैसे आवाजाही पर नियंत्रण एवं संक्रमित पक्षियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क रहे और अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, उपकरण तथा आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों को साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा मृत पक्षियों के निस्तारण के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में मृत पक्षियों को खुले में न छोड़ा जाए। जनजागरूकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को बर्ड फ्लू से बचाव के उपायकृजैसे संक्रमित पक्षियों से दूरी बनाए रखना, स्वच्छता का पालन करना एवं संदिग्ध स्थिति की सूचना प्रशासन को देनाकृके बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। बैठक में बताया गया कि जनपद में पशु चिकित्सालय, नौगढ़ में बर्ड फ्लू की रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 9415637248 है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रजत कुमार चौरसिया, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गणेश प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

साइबर अपराध से बचाव को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान, गांव–गांव पहुंच रही टीम

दैनिक बुद्ध का संदेश

कपिलवस्तु/सिद्धार्थनगर। जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों

के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा गांव–गांव अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के नेपाल सीमा से सटे गांव गौरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चौकी प्रभारी बजहा अखिलेश तिवारी एवं साइबर महिला सिपाही अनुपम ने ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। पुलिस टीम ने साइबर अपराध से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा न करें। कोई भी पुलिस या बैंक अधिकारी फोन पर इस प्रकार की जानकारी नहीं मांगता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर डराने का प्रयास करे, तो यह धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसे में तुरंत कॉल काट दें और इसकी जानकारी परिजनों को दें। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि अनजान नंबरों से आए व्हाट्सएप लिंक, लॉटरी या सस्ते ऑफर वाले संदेशों पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारीकृजैसे मोबाइल नंबर, पता या बैंकिंग विवरणकृसार्वजनिक करने से बचें। पुलिस टीम ने सार्वजनिक वाई–फाई के उपयोग को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फ्री वाई–फाई या हॉटस्पॉट का उपयोग कर किसी भी प्रकार का बैंकिंग लेनदेन न करें। अंत में बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो जाती है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। इस दौरान ग्रामीण शाहबाज आलम, मो. शरीफ, इरफान, धर्मेंद्र, बबलू, झीनक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

1 अप्रैल को शिक्षक कर्मचारियों ने काला दिवस मना कर किया विरोध : बृजेश द्विवेदी

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थ नगर में अटेवा पुरानी मंडलीय सलाहकार वकील खान के निर्देशन में एवं जिला काली पट्टी बांध कर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए व्यवस्था समाप्त कर नयी अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू

की गयी थी, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण व शोषणकारी व्यवस्था है।यह शिक्षक कर्मचारी इतिहास का वह काला दिन है, जिस दिन बुढ़ापे की लाठी सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन उनसे छीन ली गयी इसलिए यह तिथि हम सभी के लिए काला दिवस है। जिला महामंत्री संजय कर पाठक ने बताया कि हम नई पेंशन

पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के आह्वान पर तथा प्रदेश संयुक्त मंत्री जनार्दन शुक्ल, प्रदेश आई टी सेल सह प्रभारी वीरेंद्र कुमार सक्सेना, मंडल अध्यक्ष बस्ती बलवंत चौधरी, अध्यक्ष बृजेश द्विवेदी, जिला संयोजिका कल्पना, जिला महामंत्री संजय कर पाठक, जिला कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण चौधरी के नेतृत्व में जिले के शिक्षक/कर्मचारियों ने बांह पर नई पेंशन योजना का विरोध जताया। अटेवा के जिला अध्यक्ष बृजेश द्विवेदी ने बताया कि आज का ही दिन 1 अप्रैल 2005 ही वह मनहूस तिथि थी जिस तिथि से पुरानी पेंशन योजना की खामियों को उजागर करते हुए इसका प्रतीकात्मक विरोध करते हुए अपनी मांग को मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। उक्त क्रम में जिला प्रवक्ता आनन्द कुमार शुक्ल, संयुक्त मंत्री शेषनाथ गुप्ता, ब्लाक अध्यक्ष भनवापुर हिमांशु यादव, ब्लाक अध्यक्ष मिठवल मनीष कुमार दुबे, अंजना शर्मा,अभिलाष मिश्रा, वेद प्रकाश यादव, सुरेंद्र नाथ मिश्र,ब्लाक अध्यक्ष खेसरहा रघुवंशमणि पटेल, ब्लाक अध्यक्ष डुमरियागंज अमृत लाल बांसी में डॉक्टर कृष्ण कुमार उसका बाजार में सर्वेश उपाध्याय जोगिया में उत्कर्ष श्रीवास्तव लोटन में शेषनाथ गुप्ता बर्डपुर में मंडल अध्यक्ष बलवंत चौधरी के नेतृत्व सहित सभी ब्लॉकों में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक कर्मचारियों ने बांह पर काली पट्टी बांध कर नई पेंशन योजना के प्रति विरोध जताया।

सम्पादकीय

हमें मौजूदा परि□श्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंध ाक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अंततरू कानून को एक सरल सत्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि जब रिश्ते टूट जाते हैं, तो व्यक्तियों को गरिमा के साथ आगे बढ़ने ...

आधुनिक रिश्तों की परिवर्तनशीलता को स्वीकारें

आधुनिकता के संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे वयस्कों के रिश्तों को लेकर समय—समय पर देश की विभिन्न अदालतों के फैसले सामने आते रहे हैं। उनमें कई विरोधाभास भी नजर आते रहे हैं। इसी तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हालिया फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच पैदा हुई नाजुक खाई को ही उजागर किया है। जहां एक मामले में, न्यायालय का कहना था कि वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना लिव इन रिलेशनशिप, भले ही एक साथी विवाहित हो, अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब भले ही विवाह संस्था के पारंपरिक स्वरूप को मानने वाले इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम यक्ष प्रश्न जरूर हमारे सामने हैं। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में न्यायालय ने एक ऐसे ही दंपति को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर पति या पत्नी के कानूनी अधिकारों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह स्पष्ट विरोधाभास वास्तव में एक गहरी कानूनी रिक्तता को ही प्रतिबिंबित करता है। दरअसल, भारतीय कानून ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में, परंपरागत भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की दिशा में सावधानीपूर्वक ही कदम बढ़ाया है। इसके बावजूद भी, यह विवाह को एक कानूनी रूप से स्वीकृत संस्था के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। जिसके अंतर्गत वयस्कों के अपने अधिकार और दायित्व भी हैं। निर्विवाद रूप से, जिन्हें आसानी से दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है। इस परिणाम के मूल में एक न्यायिक विसंगति भी है। जहां न्यायालय लिव इन रिलेशन को अपराध की श्रेणी से तो बाहर कर देता है, लेकिन उनके परिणामों को वैध ठहराने से हिचकिचाता है। दरअसल, वयस्कों के रिश्तों में यह तनाव सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। निर्विवाद रूप से, आज भारतीय समाज एक बड़े संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। जिसमें भारतीय परंपरागत जीवन मूल्यों तथा तेजी से बदलते रिश्तों के बीच का एक द्वंद्व भी शामिल है। यह एक हकीकत है कि आधुनिक जीवन में रिश्तों में स्वतंत्रता की बयार स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता से परवान चढ़ी है। लेकिन भारत जैसे परंपरावादी समाज में सदियों से विवाह एक अनुबंध होने के साथ—साथ एक गहरी सामाजिक मान्यता भी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय समाज में आधुनिक रिश्तों की वास्तविकता कहीं अधिक परिवर्तनशील भी है। वयस्कों के रिश्तों में व्यक्ति आगे बढ़ता है, कभी—कभी बिना औपचारिक समापन के भी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि कानून भी मौजूदा परिदृश्य की इस वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। यह भी एक सत्य है कि वयस्कों के रिश्तों को संरक्षण या मान्यता से वंचित करना, ऐसे रिश्तों को समाप्त नहीं करता है। वास्तव में यह केवल उन्हें असुरक्षा और कानूनी अनिश्चितता की ओर ध केल देता है। सही मायनों में आवश्यकता न्यायिक असंगति की नहीं है, बल्कि विधायी स्पष्टता की ही है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमें मौजूदा परिदृश्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अंततरू कानून को एक सरल सत्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि जब रिश्ते टूट जाते हैं, तो व्यक्तियों को गरिमा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिये खतरा नहीं है। बल्कि यह उसका एक आवश्यक अनुकूलन ही है। ऐसे समय पर जब तकनीक व सूचना क्रांति से पूरी दुनिया एक संस्कृति में ढल रही है, हम अलग—थलग नहीं रह सकते। हमें पीढ़ियों के अंतराल से उपजी सोच का भी सम्मान करना होगा।

मूर्खता के बिना बेरंग हो जाएगी दुनिया

हम एक 'मूर्ख समय' में रह रहे हैं। यहां हर कोई हर किसी को मूर्ख बनाने में लगा पड़ा है। कोई 'ज्ञान' देकर मूर्ख बना रहा है तो कोई 'पॉलिसी प्लान' बेचकर। एक मेरी ही नहीं, किसी की मूर्खता का कहीं कोई 'इलाज' नहीं। साफ शब्दों में कहूं तो मूर्ख 'लाइलाज' होते हैं! जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मूर्खों का भी अगर इलाज होने लगा तो फिर धरती पर से 'मनोरंजन' का नामो—निशान मिट जाएगा। यही वजह है कि मैं हर दम अपनी मूर्खता को 'जिंदा' बनाए रखता हूं। कोई कितना ही मेरे बारे में कुछ भी कहता फिरे मगर मैं अपनी मूर्खता का 'दामन' नहीं छोड़ता। खुशनसीब होते हैं वे जो 'मूर्ख' होते हैं! बल्कि मैं तो कहता हूं, दुनिया का आधे से अधिक 'भार' मूर्ख ही उठा रहे हैं। मूर्ख किसी भी बात पर न तो अधिक 'हाइपर' होते हैं न अधिक 'सीरियस'। हमेशा 'कूल' बने रहते हैं। उनकी कूलनेस ही उन्हें भीड़ से अलग करती है। जाने कितने ही लोग मुझ पर 'तुम मूर्ख हो' का टोंट कस चुके हैं। यदा—कदा बीवी भी मुझे ऐसा ही कह देती है। किंतु मैं किसी के कहे का रत्तीभर बुरा नहीं मानता। बुरा क्यों मानूं भला? मूर्ख हूं तो हूं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। यह बात लिखकर रख लीजिए कि जरा—बहुत मूर्खता हममें से हर किसी में होती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री क्यों न होय थोड़ा—बहुत मूर्ख अवश्य होगा ही। बिना मूर्खता के न आप एक पल जी सकते हैं, न रह सकते। मूर्खता का विषाणु हर वक्त हम सब के शरीर से चिपका रहता है। राहत बस इतनी है कि यह विषाणु कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मूर्खों ने हर दम अपनी मूर्खता को 'एन्जॉय' किया है। यह कहने में मुझे कतई ग्लानि नहीं कि मैं अपने समय का सबसे 'मूर्ख व्यंग्यकार' हूं। मुझे लिखने के आइडियाज अपनी मूर्खता से ही मिलते हैं। मेरी निगाह में वो लेखक लेखक ही नहीं जो मूर्ख न हो। हम एक 'मूर्ख समय' में रह रहे हैं। यहां हर कोई हर किसी को मूर्ख बनाने में लगा पड़ा है। कोई 'ज्ञान' देकर मूर्ख बना रहा है तो कोई 'पॉलिसी प्लान' बेचकर। जितने तरह के लोग उतनी तरह की मूर्खताएं। यह समय अपनी—अपनी मूर्खताओं को बचाने का है। मूर्खताओं से भागें नहीं, उसका आगे बढ़कर स्वागत करें। बड़ी काम की होती हैं मूर्खताएं। अंत में सब मिट्टी में मिल जाना है, अगर कुछ बचा रहना है तो सिर्फ मूर्खताएं। फिर कह रहा हूं, मूर्ख बने रहिए। दुनिया को मूर्ख बनाते रहिए। जीवन 'मिथ्या' हो सकता है किंतु 'मूर्खता' अजर—अमर है।

फोर्टिफाइड चावल से जुड़े स्वास्थ्य के जोखिम

एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें स्वच्छता की कमी, पेट के कीड़े या अन्य संक्रमण शामिल हैं। केवल चावल में लोहा मिलाकर पूरी आबादी को खिलाना अदूरदर्शी कदम प्रतीत होता है। जब सरकार केवल चावल के फोर्टिफिकेशन पर अरबों रुपये खर्च करती है, तो पूरा ध्यान 'धान' की खेती और वितरण पर केंद्रित हो जाता है। इससे बाजरा, रागी, कोदो और ज्वार जैसे 'श्री अन्न' (मोटे अनाज), जो प्राकृतिक...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 'फोर्टिफाइड' चावल का वितरण अनिवार्य करना सवाल खड़े करता है। कहा गया कि चावल के दानों में कृत्रिम रूप से आयरन और विटामिन मिलाकर देश की बड़ी आबादी को 'छिपी हुई भूख' से मुक्त किया जा सकता है। किंतु, इस योजना के स्वास्थ्य जोखिम अब चर्चा में है। सरकार को अपने उस आदेश को वापस लेना पड़ा, जिसके तहत विभिन्न सार्वजनिक वितरण तंत्र के माध्यम से 'फोर्टिफाइड' चावल के वितरण को अनिवार्य किया गया था। दरअसल, इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि इस तरह तैयार चावल रक्त—अल्पता यानी एनीमिया से लड़ने में कारगर है। वहीं आईआईटी खड़गपुर की एक रिपोर्ट में इनके भंडारण को मानव स्वास्थ्य के लिए घातक बताया गया था। भारत में केंद्रीय पूल में चावल का कुल भंडार लगभग 679.32 लाख टन तक पहुंच गया है, जो निर्धारित बफर मानदंड, लगभग 76.1 लाख टन से 9 गुना अधिक है। इसके बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 'फोर्टिफाइड' यानी संवर्धित चावल के वितरण को अनिवार्य कर दिया जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। देश की सभी सार्वजनिक वितरण दुकानों और आंगनवाड़ी आदि में कोई 350 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के वितरण की व्यवस्था की गई थी। कहा तो यह गया कि चावल के दानों में कृत्रिम रूप से लौह तत्व और विटामिन मिलाकर देश की एक बड़ी आबादी को 'छिपी हुई भूख' से मुक्त किया जा सकता है। किंतु, इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे छिपे स्वास्थ्य

जोखिम और निर्माण प्रक्रिया की अनिश्चितता अब गंभीर विमर्श का विषय बन गई है। पायलट प्रोजेक्ट की आड़ में सारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यह चावल डालने से बड़ी आबादी पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। सबसे पहले टूटे हुए चावलों को पीसकर आटा बनाया जाता है। इस आटे में आयरन (लोहा), फोलिक एसिड और विटामिन बी12 का एक निर्धारित मिश्रण मिलाया जाता है। इसमें जिंक, विटामिन ए, बी1, बी2, बी3 और बी6 भी मिलाए जाते हैं। मिश्रण में पानी मिलाकर इसे एक 'एक्सट्रूडर' मशीन में डालते हैं, जो इसे ठीक चावल के दाने जैसा आकार देती है। इन्हें फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इन कृत्रिम दानों को सामान्य चावल के साथ 1:100 के अनुपात में मिलाया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे चावल सभी के लिए एक समान लाभकारी नहीं हैं। खासकर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवंशिक रोगों से पीड़ितों के लिए। ऐसे मरीजों के शरीर में पहले ही आयरन अधिक होता है और आयरन युक्त चावल खाने से उनके अंग खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में आयरन का संचय प्राकृतिक रूप से अधिक होता है। उन्हें बार—बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, जिससे उनके शरीर के अंगों पर पहले से ही अतिरिक्त लोहे का दबाव रहता है। यदि ऐसे मरीजों को नियमित लौह—संवर्धित चावल खिलाया जाता है, तो उनके शरीर में 'आयरन ओवरलोड' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अतिरिक्त लोहा उनके लीवर, हृदय और गुर्दों को धीरे—धीरे नष्ट कर सकता है। विडंबना यह कि जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों का प्रकोप सबसे अधिक है, वहीं सरकारी राशन भोजन का एकमात्र साध ान है। पैकेटों पर लिखी बारीक चेतावनी ग्रामीण व निरक्षर आबादी तक पहुंचने में विफल रही, जिससे अनजाने में एक बड़ा वर्ग स्वास्थ्य संकट की ओर धकेला जा रहा है। शोध बताते हैं कि जब हम सिंथेटिक आयरन यानी कृत्रिम लोहे का अधिक सेवन करते हैं, तो वह पूरे अवशोषित नहीं हो पाता। बचा हुआ लोहा आंतों में ई—कोलाई, आदि हानिकर बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है, जिससे लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इससे दीर्घकाल में पाचन के गंभीर विकार पैदा हो सकते हैं। शरीर में लोहे की अधिकता 'फ्री रेडिकल्स' पैदा करती है, जिससे कोशिकाओं में 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' बढ़ता है। यह स्थिति समयपूर्व बुढ़ापे, मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे बढ़ा सकती है। संवर्धित चावल के निर्माण की तकनीक, जिसे 'एक्सट्रूजन' कहा जाता है, सैद्धांतिक रूप से तो सटीक लगती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी खामियां हैं। अनेक चावल मिलों में पोषक तत्वों के मिश्रण (प्रीमिक्स) की मात्रा का सही संतुलन नहीं रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और रसायनों की शुद्धता पर भी कोई कड़ा नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि पकाते समय इस चावल का स्वाद और गंध बदल जाती है, जिससे आम जनता के मन में इसके 'प्लास्टिक चावल' होने का भ्रम पैदा होता है। भंडारण के दौरान नमी और तापमान के कारण इन कृत्रिम दानों में ऑक्सीकरण (ऑक्सीडेशन) की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो चावल को विषाक्त बना सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'एक ही दवा सबको' की नीति अक्सर प्रतिकूल परिणाम देती है।

विवादों से दूर रह रिश्ते सुधार सकते हैं बालेन

वर्ष 1816 की सुगौली संधि में लिपुलेख व लिम्पियाधुरा को स्पष्टतया नेपाल का हिस्सा, या भारत का भाग मानने पर विवाद है। नदी के उद्गम स्थल पर दोनों देशों के अलग—अलग दावे हैं, जिस कारण यह क्षेत्र विवादित है। नेपाल का मानना है, कि कुटी घाटी से निकलने वाली नदी (कुटी यांगती) जो मुख्य महाकाली नदी है, के पूर्व का हिस्सा (लिम्पियाधुरा, लिपुलेख व कालापानी)...

नेपाल ने लिपुलेख—लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र से संबंधित सवाल सबसे पहले 1991 में भारत के साथ उठाया था। यह मुद्दा उस समय सामने आया जब 1990 में नेपाल में राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव हुआ, और नई सरकार ने सुगौली संधि के तहत सीमा निर्धारण पर आपत्तियां जताई थीं। अच्छा हुआ, नेपाल की पूर्व विदेशमंत्री आरजू राणा भारत में नहीं हैं। वो होतीं, तो शेख हसीना जैसा शरण और प्रत्यर्पण वाला इश्यू खड़ा हो जाता। 19 अगस्त, 2024 को जब वो भारत आईं, विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया था, 'नेपाल की डॉ. आरजू राणा देउबा का विदेश मंत्री के तौर पर भारत की अपनी पहली यात्रा पर स्वागत है। हम अपनी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।' आरजू राणा की शख्सियत खास इसलिए भी है, क्योंकि वो नेपाल में पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके शेरबहादुर देउबा की श्रीमती जी हैं। पिछले महीने, जब नेपाल पुलिस की अनुसंध ाान शाखा, (सीआईबी) और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाले महकमे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (डीएमएलएआई) के अधि ाकारी उन्हें तलाश रहे थे, तब आरजू राणा भारत में थीं। ये जो कुछ हो रहा है, उसके पटकथा लेखक, पूर्व उपप्रधानमंत्री व पत्रकार रबि लामिछाने हो सकते हैं। मान्यवर, करोड़ों रुपये के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले में जेल में थे। जेन—जी आंदोलन के समय जिन्हें छुड़ाने के क्रम में फायरिंग हुई, और दस कैदी मारे गए थे। इस तरह की चर्चा, कि आरएसपी सरकार का मुखिया गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सजायाफ्ता रहा है, बालेन्द्र सरकार को असहज कर रही थी। अब यह कह सकते हैं, कि देखो, जो बरसों से सत्ता में रहे हैं, वो भी कोई परमहंस नहीं हैं। बहरहाल, आरजू राणा देउबा को दिल्ली से सिंगापुर, जैसे—तैसे रवाना किया गया। लेकिन, सोमवार को पता चला, कि अब आरजू राणा देउबा हांगकांग में घुटनों के इलाज के लिए गई हैं। यों, नेपाल और हांगकांग के बीच कोई औपचारिक प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। चुनांचे, आरजू राणा देउबा ने सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ लिया है। खैर, जो होता है, अच्छे के लिए होता है। भारत पहले से शेख हसीना के प्रत्यर्पण वाले कूटनीतिक विवाद में उलझा हुआ था, उसके लिए एक नया बखेड़ा नेपाल से शुरू हो जाता। इस समय नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री दीपक खड़का की गिरफ्तारी से माहौल गरमाया हुआ है। अदालत में इसे चुनौती दी गई है, जिसपर सुनवाई सरकार द्वारा जवाब मिलने के बाद होगी। धनशोधन का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पर भी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लांछन से मिस्टर एंड मिसेज देउबा, उनके बेटे जयवीर सिंह देउबा, उनके साले भूषण राणा मुक्त नहीं हैं। ये लोग देश से बाहर हैं। लगता है, देउबा कुनबा चौन की सांस नहीं ले पायेगा। राणा काल से ही भारत, नेपाली नेताओं को राजनीतिक शरण देने के वास्ते सबसे सुरक्षित मुकाम माना जाता है। देउबा विवाद से दिल्ली बच तो गई, लेकिन, यह न मान लें कि मतभेदों से मुक्ति मिल गई। जून, 2026 से 17 हजार 500 फीट ऊंचाई वाले दुर्गम लिपुलेख दर्रे के बरास्ते भारत—चीन के बीच व्यापार की शुरुआत होनी है। केपी शर्मा ओली इसका विरोध दर्ज कराने पिछले साल पेइचिंग पहुंच गए थे। चीन ने पल्ला झाड़ा, तो कम्युनिस्ट नेता निराश होकर चुप्पी लगा गए। अब नेपाल का नया निजाम इसे कैसे हैंडल करता है, यह देखना बाकी है। लिपुलेख दर्रे पर नेपाली दावेदारी के वास्ते एक फर्जी 'चुच्चे नक्शा' संसद में पास करा लिया गया था। नेपाली में 'चुच्चे' का मतलब 'नुकीला' होता है। लिपुलेख दर्रे की भू—सामरिक स्थिति नुकीली है। उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं, भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरने वाला यह सबसे प्राचीन व्यापार मार्ग है, जो भारत के उत्तराखंड को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) से जोड़ता है। सदियों से भोटिया व्यापारी, विशेष रूप से लोग, ऊन, मसाले और कृषि उत्पादों के आदान—प्रदान के लिए इस मार्ग का उपयोग करते आ रहे हैं। उस दौर में भारतीय मसालों, वस्त्रों और गुड़ के बदले तिब्बती ऊन, रेशम और बोरेक्स का आदान—प्रदान 'बार्टर सिस्टम' के जरिये किया जाता था। इसे 'कैलास मानसरोवर यात्रा पथ' के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। 1962 के भारत—चीन युद्ध में इस मार्ग के बंद होने के बाद, 1992 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोला गया, और यह युद्धोपरांत व्यापार के लिए पहली आधिकारिक चौकी बन गया। कठोर मौसमी परिस्थितियों के कारण, यहां आवागमन आमतौर पर जून और सितंबर के बीच ही संचालित होता है। यह चीन के साथ तीन व्यापारिक चौकियों में से पहली थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश का शिपकी ला दर्रा (1994) और सिक्किम के नाथू ला (2006) का नंबर आया। नेपाल ने लिपुलेख—लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र से संबंधित सवाल सबसे पहले 1991 में भारत के साथ उठाया था। यह मुद्दा उस समय सामने आया जब 1990 में नेपाल में राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव हुआ, और नई सरकार ने सुगौली संधि के तहत सीमा निर्धारण पर आपत्तियां जताई थीं। उस समय नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता, कि यह केवल नेपाली कम्युनिस्टों या प्रतिक्रियावादियों का मुद्दा था। यह मामला 2020 तक धीरे—धीरे सुलगता रहा।

दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वार्षिक परीक्षाफल वितरितः मेधावियों को पुरस्.त कर बढाया हौसला

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बुधवार को वार्षिक परीक्षाफल वितरण हर्षोल्लास वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष की अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम अत्यंत उत्साह और गर्व के साथ प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशक बीना सिंह, प्रबंधक जेपी सिंह, प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी, इंचार्ज वेद प्रकाश सिंह, भूपेंद्र त्रिपाठी, हर्षिता पाण्डेय, स्वाति सिंह, वंदना पाण्डेय और समस्त शिक्षकगणों द्वारा मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन सीसीए इंचार्ज दिव्या त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों एवं अतिथियों ने विद्यालय की उत्. ष्ट शैक्षणिक व्यवस्था एवं अनुशासन की सराहना की। विद्यालय द्वारा इस वर्ष एक नई पहल के रूप में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन क्लास प्रारंभ की जा रही है, जिसकी सभी ने विशेष रूप से प्रशंसा की। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को आईआईटी, जेईई, नीट्स एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नियमित शैक्षणिक अध्ययन के साथ–साथ कराई जाएगी। विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सफल विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। अभिभावकों ने भी बच्चों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कक्षाओं के उत्.ष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। नर्सरी में प्रथम अरुणिमा पाण्डेय, अव्यांश मणि शुक्ला, इशिता पटेल प्रथम, स्वरांश सिंह, अक्षत द्विवेदी, अर्श गुप्ता द्वितीय , शांभवी सिंह, श्रेयांश चौधरी तृतीय, , एल.के.जी.में कुंवर दक्ष सिंह, रियान्श पटेल प्रथम , आव्या पटेल द्वितीय , शाश्वत मौर्य तृतीय , यू.के.जी में मोक्ष प्रथम, द्वितीय दिव्यांश चौधरी, तृतीय अभिसार आनंद, कक्षा 1 (ए) में प्रथम , रियान्श गुप्ता, हिमाद्रि दुबे, द्वितीय अयांश श्रीवास्तव, तृतीय, हर्षिल दुबे, कक्षा 1 (बी) में प्रथम जानवी, गर्गी, द्वितीय रेयांश, रुही वर्मा, तृतीय निष्ठा, कक्षा 2 (ए), प्रथम अद्विक मौर्य, द्वितीय, नव्या मौर्य, तृतीय , प्रिशा चौधरी, कक्षा 3 (ए) में प्रथम प्रांजल यादव, द्वितीय , आदर्श चौरसिया, तृतीय अनुभव राठौर के साथ ही कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 के मेधावी छात्रों को पुरस्.त कर उत्साहवर्धन किया गया।

कार्यालय : ग्राम पंचायत- धरमौली, वि.ख.- लोटन बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **धरमौली** विकास खण्ड़–लोटन बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 18.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 17.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **धरमौली** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **धरमौली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

गयाराम
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत-धरमौली
वि.ख. - लोटन बाजार

आशीष कुमार
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-धरमौली
वि.ख. - लोटन बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- हरिवंशपुर, वि.ख.- लोटन बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हरिवंशपुर** विकास खण्ड़–लोटन बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 18.04.2026 को अपराह्न 12.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 17.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **हरिवंशपुर** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **हरिवंशपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

खरजहां
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत-हरिवंशपुर
वि.ख. - लोटन बाजार

आशीष कुमार
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-हरिवंशपुर
वि.ख. - लोटन बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- बरगदवां, वि.ख.- रूधौली, जनपद- बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बरगदवां** विकास खण्ड़–रूधौली द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 07.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 06.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **बरगदवां** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बरगदवां** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रमोद कुमार
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत-बरगदवा
वि.ख. - रूधौली

तुफेल अहमद
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-बरगदवा
वि.ख. - रूधौली

कार्यालय : ग्राम पंचायत- टेकापार, वि.ख.- बांसी, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **टेकापार** विकास खण्ड़–बांसी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 07.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 17.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **टेकापार** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **टेकापार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार गुप्ता
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत-टेकापार
वि.ख. - बांसी

शेष दत्त मिश्रा
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-टेकापार
वि.ख. - बांसी

कार्यालय : ग्राम पंचायत- डडियाकला, वि.ख.- मेहदावल, जनपद- संतकबीरनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **डडियाकला** विकास खण्ड़–मेहदावल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 10.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 09.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **डडियाकला** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **डडियाकला** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शीला देवी
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत-डडियाकला
वि.ख. - मेहदालव

अक्षय कुमार
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-डडियाकला
वि.ख. - मेहदालव

कार्यालय : ग्राम पंचायत- नटाईकला, वि.ख.- रूधौली, जनपद- बस्ती

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **नटाईकला** विकास खण्ड़–रूधौली द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 07.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 06.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **नटाईकला** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **नटाईकला** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञानमती
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत-नटाईकला
वि.ख. - रूधौली

तुफेल अहमद
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत-नटाईकला
वि.ख. - रूधौली

स्मार्ट क्लास के उद्घाटन से शिक्षा में आएगा नया बदलाव – डॉ. अभिलाषा वर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। क्षेत्र के जीजेवीएम स्कूल में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भाजपा नेत्री व स्पार्क कॉलेज की डायरेक्टर डॉ. अभिलाषा वर्मा ने स्मार्ट क्लास का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं, शिक्षकगण, अभिभावक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉ. अभिलाषा वर्मा द्वारा फीता काटकर स्मार्ट क्लास के उद्घाटन के साथ हुई। इसके पश्चात विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने उन्हें पुष्पगुच्छ व माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया।

स्वागत से अभिभूत होकर डॉ. वर्मा ने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और तकनीक का समावेश शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं रोचक बना रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र अब विषयों को चित्रों, वीडियो और डिजिटल माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शहरी स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि स्मार्ट क्लास के संचालन से शिक्षण कार्य में गुणवत्ता आएगी और छात्रों का शैक्षिक स्तर बेहतर होगा। अंत में विद्यालय परिवार ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम का समापन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ।

बहराइच में 'अंतर पीढ़ीगत जुड़ाव' पर जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं ने बुजुर्गों के सम्मान का लिया संकल्प

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। बहराइच में युवा शक्ति और अनुभवी पीढ़ी के बीच भावनात्मक व सामाजिक सेतु मजबूत करने के उद्देश्य से क्त "ज्ञै इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के आधुनिक परिसर में एक विशेष जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (।टल।ल) के अंतर्गत हेल्प फाउंडेशन एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। हेल्प फाउंडेशन के उपाध्यक्ष बृज

नारायण तिवारी ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के संयोजक एवं मुख्य वक्ता जयंतधर द्विवेदी ने 'युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद' विषय पर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि जेनरेशन गैप कोई समस्या नहीं, बल्कि संवाद की कमी है। युवाओं से उन्होंने 'डिजिटल दूत' बनने का आह्वान करते हुए बुजुर्गों को तकनीक से जोड़ने की बात कही, ताकि उनके अकेलेपन को दूर किया जा सके। प्राचार्य डॉ. के. रोज़ारानी ने नर्सिंग छात्रों को बुजुर्गों के प्रति करुणा और धैर्य रखने की सीख दी, जबकि डॉ. पवन वर्मा ने आयुर्वेद के माध्यम से 'सक्रिय वृद्धावस्था' पर जोर दिया। प्रशासनिक अधिकारी विनोद त्रिपाठी ने संस्कारों के हस्तांतरण को समाज की मजबूती का आधार बताया। समापन सत्र में छात्रों और स्टाफ ने सामूहिक संकल्प लेते हुए बुजुर्गों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रण लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति और बुजुर्गों के सम्मान के गगनभेदी उद्घोष के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षक, स्टाफ, हेल्प फाउंडेशन के पदाधिकारी और सैकड़ों छात्र–छात्राएं मौजूद रहे।

पयागपुर में आमने–सामने बाइक टक्कर, तीन घायल:एक की हालत गंभीर

दैनिक बुद्ध का संदेश

पयागपुर/बहराइच। पयागपुर क्षेत्र के अर्जुन पुरवा चौराहे पर दो मोटरसाइकिलों की आमने–सामने भिड़ंत में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रामतेज चौहान (61) पुत्र श्यामंता अपने पुत्र अमरनाथ चौहान के साथ झूला घाट ग्राम से पयागपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे सत्यम (19) पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी गंगवाल बाजार की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और तीनों सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में रामतेज

चौहान के सिर में चोट आई है, जबकि अमरनाथ चौहान के हाथ में चोट लगी। वहीं सत्यम के नाक में गंभीर चोट लगने से काफी देर तक खून बहता रहा। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सत्यम की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार चौराहे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सीमा स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण कार्यक्रम संपन्न, मेधावी छात्र हुए सम्मानित

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। क्षेत्र के सीमा स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण कार्यक्रम हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि

के रूप में भाजपा नेत्री व स्पार्क कॉलेज की डायरेक्टर डॉ. अभिलाषा वर्मा उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को अंकपत्र वितरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में डॉ. वर्मा ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा परिणाम केवल अंकों का मूल्यांकन नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिली। कार्यक्रम में छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अभिभावक, शिक्षक एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

तहसील परिसर में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी, मांगों पर अड़े रहे किसान

दैनिक बुद्ध का संदेश

पयागपुर/बहराइच। पयागपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन

अराजनैतिक संगठन का धरना प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों किसान धरने पर डटे रहे और प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। किसानों ने प्रमुख रूप से मंडी समिति पयागपुर में नीलामी चबूतरे पर सब्जी मंडी स्थापित करने तथा नगर पंचायत पयागपुर में साफ–सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराने सहित कई अन्य मांग भी उठाई। धरने के दौरान जब भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों ने मंडी सचिव को मौके पर बुलाने की मांग की, तो उनके स्थान पर मंडी इंस्पेक्टर पयागपुर पहुंचे और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक मंडी सचिव स्वयं मौके पर नहीं आएंगे, तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान तहसीलदार पयागपुर अंबिका चौधरी ने बताया कि किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान कराया जाएगा। वहीं मंडी सचिव पयागपुर ने पहुंचकर आश्वासन दिया गया कि नीलामी चबूतरे पर सब्जी मंडी लगाए जाने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक माह के भीतर तीन नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखने का ऐलान किया है और बताया कि धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहेगा।

नंबर प्लेट छिपाकर चल रहे वाहनों के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान, 446 वाहनों का चालान, 26 वाहन सीज

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। गोन्डा जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया ।यह अभियान विशेष रूप से उन वाहनों (ट्रक, डंपर आदि) के विरुद्ध संचालित किया गया जो अपनी नंबर प्लेट को छिपाकर अथवा अस्पष्ट कर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे,जिससे उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है और दुर्घटना अथवा आपराधिक घटनाओं में उनकी संलिप्तता का पता लगाने में बाधा उत्पन्न होती है ।उक्त अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान

चलाया गया, जिसमें पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाकर तथा संदिग्ध वाहनों को रोककर गहन जांच की गई ।अभियान के दौरान कुल 1811 ट्रक/डंपर वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 446 वाहनों में नंबर प्लेट संबंधी अनियमितताएं एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से कुल ध10,91,600 (दस लाख इक्यानवे हजार छह सौ रुपये) का शमन शुल्क वसूल किया गया ।वहीं, गंभीर अनियमितताओं वाले 26 वाहनों को सीज करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा समस्त वाहन मालिको/चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुसार स्पष्ट एवं सही नंबर प्लेट का उपयोग करें तथा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी ।जनपद पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर चलाया जाएगा,जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग अभियान का डीएम की उपस्थिति में सीमांकन की हुई शुरुआत

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। जनपद के सभी तहसीलो मे 01 अप्रैल,2026 से जनपद में ष्अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग सीमांकन अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की उपस्थिति में ष्अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग सीमांकन अभियानष् की शुरुआत की गई ।यह अभियान जनपद के चारों तहसीलों में चलाया गया ।तहसील सदर गोण्डा के ग्राम पंचायत धनौली में चकमार्ग संख्या–176 के सीमांकन कार्य से प्रारंभ हुआ ।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अभियान के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि इस कार्य के जरिए चकमार्गों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा और उनका उचित सीमांकन किया जाएगा,ताकि ग्रामीणों को यातायात की सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके ।इसके साथ ही जनपद के अन्य तहसीलों में भी उपजिलाधिकारीगण ने अपने–अपने क्षेत्रों में ष्अतिक्रमण मुक्त चकमार्ग अभियानष् के तहत सीमांकन कार्य की शुरुआत करवाई। तहसील गोण्डा

सदर,तरबगंज, मनकापुर और करनैलगंज में इस अभियान के अंतर्गत चकमार्गों के सीमांकन का कार्य किया गया ।तहसील करनैलगंज के ग्राम पंचायत उमरिया में चकमार्ग संख्या 416 को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन कार्य का शुभारंभ उपजिलाधिकारी सुश्री नेहा मिश्रा द्वारा किया गया। तहसील मनकापुर ग्राम पंचायत बन्दरहा गाटा संख्या– 890 तथा ग्राम बगदरग्रंट गाटा संख्या–161, 399 में प्रभारी तहसीलदार सुभद्रा प्रसाद ने अभियान चलाकर चकमार्ग खाली करवाकर सीमांकन कराया ।इसी प्रकार तहसील तरबगंज के ग्राम पंचायत धौरहराघाट गाटा संख्या–952,पकवान गांव गाटा संख्या–141,अशोकपुर गाटा संख्या–147,चक शिवरहा गाटा संख्या– 376,कोठा गाटा संख्या– 1572 तथा दुर्जनपुर गाटा संख्या–2036 में उपजिलाधिकारी श्री विश्वमित्र तथा तहसीलदार तरबगंज आशुतोष पाण्डेय ने चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन का कार्य कराया ।तहसील सदर गोण्डा के ग्राम पंचायत निबिहापरसपुर गाटा संख्या–336, ग्राम किनुबरा गाटा संख्या–449 में नगर मजिस्ट्रेट श्री पंकज वर्मा तथा उपजिलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने चकमार्ग को खाली कराकर सीमांकन कार्य प्रारंभ कराया ।इन कार्यों के दौरान नायब तहसीलदार चन्दन जायसवाल,राजस्व निरीक्षक सुशील शर्मा,लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित थाना पुलिस की उपस्थिति रही, जिनके सहयोग से यह अभियान सुचारु रूप से चलाया गया।

बलरामपुर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। जनपद के कटरा बाजार

क्षेत्र के स्थित बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इकाई मैजापुर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (उत्तर प्रदेश सरकार) के अंतर्गत सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया ।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मण्डलीय आकांक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती गरिमा भूषण एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपजिलाधिकारी करनैलगंज सुश्री नेहा मिश्रा उपस्थित रहीं ।कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 30 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया ।मुख्य अतिथि गरिमा भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सिलाई जैसे कौशल को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं ।उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे इस कौशल को आगे बढ़ाते हुए अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करें, जिससे एक मजबूत आत्मनिर्भर श्रृंखला तैयार हो सके ।विशिष्ट अतिथि एसडीएम नेहा मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर के बल पर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं ।उन्होंने बलरामपुर फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था लगातार महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, जो सराहनीय पहल है ।इकाई प्रमुख संदीप अग्रवाल ने बताया कि मिल क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ।उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 250 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें मशीनें वितरित की जा चुकी हैं, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं ।इस अवसर पर जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार सिंह , संजय मिश्र,राज नारायण पाण्डेय, श्रीप्रकाश सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

दैनिक बुद्ध का संदेश

श्रावस्ती। जनपद श्रावस्ती में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरतार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम व क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश शर्मा के पर्यवेक्षण में थाना सिरसिया पुलिस ने कार्रवाई की। थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 31 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना पर रानियापुर मोड़ के पास से आरोपी को गिरतार किया। 30 मार्च 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना सिरसिया में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी रामकुमार उसे बहला–फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 91/26 धारा 137(2), 75(2) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की पुलिस की कार्रवाई जारी पुलिस ने आरोपी को गिरतार कर न्यायालय भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बहराइच: रिश्वतखोरी मामले में एसपी का सख्त एक्शन

बहराइच। बहराइच में रिश्वतखोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने कड़ा रुख अपनाया है। उनके निर्देश पर अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का बताया जा रहा है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और संबंधित कर्मी की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।"च के इस कदम से विभाग में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश भी गया।

सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है की हम प्रार्थी दीपक सोनखर पुत्र रामदास अपनी भूमी गाटा संख्या 309 मौजा शिवपातिनगर तप्पाघोष तहसील नौगढ़, जनपद– सिद्धार्थनगर जरिए हिब्बा अपनी माता श्रीमती चमेली देवी पत्नी राम दास से दिनाक 16/11/2024 को हिब्बा प्राप्त किया था, उक्त सम्मपति श्रीमति चमेली पत्नी राय दास ने विशम्भर पुत्र चुम्मन से जरिए बैनामा बही सख्या 1 जिल्द सं० 1877, पुष्ट संख्या 79 से 94 क्रमांक 3048 पर सब राजिस्ट्री ऑफिस नौगढ़ में दर्ज है उक्त बैनामा 29/08/2008 की मुल प्रति दिनाक 26/03/2026 को नौगढ़ पकड़ी मुख्य मार्ग पर कही गिर गया तथा आज तक ढुढ़ने पर नही मिला इसके बावत प्रार्थी ने गुमसुदगी की सुचना 31/03/2026 को दोपहर 03:20 मीनट पर ऑनलाइन कर दी है। उक्त सम्पति को श्री राम फाइनेन्स लि0 की शाखा सि०नगर में बंधक रख रहा है। यदि किसी को मूल प्रति मिले या किसी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस के अन्दर हमारे अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ गिरी इनका मो. 9935249581 पर सम्पर्क करके मूल प्रति वापस करदें या अपनी आपत्ति दर्ज करा दे।

दीपक सोनखर पुत्र रामदास
मौजा शिवपातिनगर तप्पाघोष
तहसील नौगढ़,
जनपद– सिद्धार्थनगर

डा. वी.के. वर्मा कृत 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य का विमोचन

दैनिक बुद्ध का संदेश
बस्ती। वरिष्ठ साहित्यकार परिवर्तन, प्रेम, अहिंसा, करूणा, महात्मा बुद्ध के अप्प दीपो भव बस्ती मण्डल का अटूट हिस्सा है और डा. वी.के. वर्मा ने अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, डा. सत्यव्रत ने 'सिद्धार्थ से तथागत' वातावरण को सोचने पर बाध्य किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण गया। डा. रेशमी पाण्डा मुखर्जी और हरीलाल मिलन को डा. वी. के. वर्मा द्वारा अपने माता–पिता की स्मृति में ग्यारह–ग्यारह हजार रूपये देकर सम्मानित किया गया।

इसी क्रम में साहित्यिक संस्था शब्द सुमन द्वारा कबीर मठ के महन्थ विवेक ब्रम्हचारी, उमाशंकर दास, भन्ते संघ सागर, भिक्षणी धम्म मिश्र, भिक्षु धम्म पाल, डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, डा. आलोक रंजन वर्मा, विनोद उपाध्याय, डा. सौमेन्द्र पाण्डा, ओ. पी. वर्मा ओम, डा. वेद प्रकाश मणि, डा. प्रतिभा गुप्ता, मकसूद अहमद, डा. अफजल हुसेन अफजल, अनवार पारसा, हरीश दरवेश आदि को अंग वस्त्र, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। आभार ज्ञापन डा. आलोक रंजन वर्मा ने किया।

डा. वी.के. वर्मा .त 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य का विमोचन प्रेस क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डा. रेशमी पाण्डा मुखर्जी कोलकाता ने कहा कि महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त अनूठा और कल्याणकारी है। डा. वी.के. वर्मा ने महाकाव्य की रचनाकर साहित्य क्षेत्र को अमूल्य निधि भेंट किया है। निश्चित रूप से यह महाकाव्य लोगों के हृदय के उपदेश को नयी गति देगा। साहित्य भूषण हरीलाल मिलन ने कहा कि महात्मा बुद्ध रचनाकारों को स्वतः आकर्षित करते हैं।

डा. वी.के. वर्मा .त 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य अनूठा और नये प्रतिमान स्थापित करेगा इसमें संदेह नहीं। डा. सोमेन्द्र पाण्डा कोलकाता ने महाकाव्य के अनेक प्रसंगों का उद्धरण देते हुये कहा कि कपिलवस्तु महाकाव्य परम्परा को पालन करते हुये तथागत के प्रति नवीन .ष्टिकोण दिया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुये वरिष्ठ साहित्यकार डा. राम.ष्ण लाल जगमग ने कहा कि सिद्धार्थ से तथागत की यात्रा में अनेक मोड है किन्तु यशोधरा का चरित्र और मानसिक उत्सर्ग ऐतिहासिक है। यह महाकाव्य पाठकों को नवीन वैचारिकी से परिचित करायेगा। प्रदीप चन्द्र पाण्डेय, प्रेस क्लब महाकाव्य के विविध पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये डॉ. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य मील का पत्थर साबित होगा। 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य के रचयिता डा. वी. के. वर्मा ने महाकाव्य के मुख्य अंशों को प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। विशेषकर यशोधरा प्रसंग ने में आयोजित कवि सम्मेलन में डा. ओ.पी. वर्मा 'ओम', डा. वेद प्रकाश मणि, डा. प्रतिभा गुप्ता, अर्चना श्रीवास्तव, सागर गोरखपुरी, दीपक सिंह 'प्रेमी', डा. अफजल हुसेन अफजल, मकसूद अहमद, अनवार पारसा, सुशील सिंह पथिक आदि ने रचनाओं के माध्यम से सार्थक प्रस्तुतियां दी। डा. वी.के. वर्मा, डा. राम.ष्ण लाल 'जगमग' को श्याम निर्मम फाउन्डेशन गाजियाबाद द्वारा सम्मानित किया

पीसीएस में 26 वां स्थान पाकर खुशबू सोनी नें जनपद का बढ़ाया मान

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। नगर की होनहार बेटी ने अपने परिवार का ही नहीं

समाज,क्षेत्र प्रदेश एवं देश का मान बढ़ाया है बेटी की इस उपलब्धि पर हमें गर्व है उपरोक्त बात बातें पूर्व विधायक तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा ने बुधवार को नगर की बेटी खुशबू सोनी पुत्री स्वर्गीय राजकुमार सोनी के यू पी पीसीएस में शानदार 26वां स्थान पाने पर उनके घर पर जाकर बधाई देते हुए कहा कि बिटिया की लगन परिश्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है यह मिथक भी टूटा है कि बहुत बड़े शहर एवं स्कूल से ही पढ़ कर सफलता प्राप्त की जा सकती है उन्होंने चयनित बेटी से राष्ट्र के विकास में अपने दायित्व को निष्ठा से पालन करने का सुझाव भी दिया ताकि आगे की पीढ़ी इनका अनुसरण करें बताया कि नगर के बर्तन व्यवसाई राजकुमार सोनी का निधन 2022 में हार्ट अटैक से हो गया था परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था बावजूद इसके उनकी बेटी ने अध्ययन जारी रखा भाइयों को भी प्रेरित किया परिणाम स्वरुप दो भाई इंजीनियर और अपने यूपीपीसीएस की परीक्षा को क्रैक किया इस अवसर पर बधाई देने वालों में राम प्रसाद यादव प्रमोद यादव सपा नगर अध्यक्ष पारब्रह्म सिंह ,मोहन जायसवाल ,दीपक केसरी आशीष केसरी ,अजय सोनी पवन सोनी ,अक्षत सोनी पियूष सोनी ,चंदन सोनी, स्नेहा काजल इत्यादि लोग मौजूद रहे।

खंड शिक्षा अधिकारी नें छात्रों को पाठ्य पुस्तक किया वितरित

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। खण्ड शिक्षा अधिकारी चतरा अशोक कुमार सिंह ने

प्राथमिक विद्यालय किरहुलिया के बच्चों को निः शुल्क नवीन पाठ्य पुस्तक वितरित की इस अवसर पर कक्षा 1में प्रवेश लेने वाले नये विद्यार्थियों का विशेष स्वागत किया गया। नये छात्रों को रोरी तिलक लगाकर तथा माला पहनाकर प्रवेश दिलाया गया यह कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है खंड शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों से अपील किया कि स्कूल चलो अभियान के तहत अधिक से अधिक नामांकन करायें एवं बच्चों को नियमित स्कूल भेजें उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नियमित उपस्थिति को आवश्यक बताया इस दौरान विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं अभिभावक मौजूद रहे।

लिटिल फ्लावर्स स्कूल की पूर्व छात्रा रितिका शुक्ला असिस्टेन्ट कमिश्नर बनी: विद्यालय परिवार ने किया स्वागत

दैनिक बुद्ध का संदेश
बस्ती। बुधवार को लिटिल लावर्स स्कूल सुरेन्द्र नगर कटरा में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में उत्तीर्ण छात्रा रितिका शुक्ला के असिस्टेंट कमिश्नर बनने पर विद्यालय परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक सुरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्या श्रीमती अपर्णा सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर, माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेट कर स्वागत करते हुये उज्जवल भविष्य की कामना किया। असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयनित रितिका शुक्ला ने कहा कि उन्होने प्रारम्भिक से लेकर कक्षा 8 वीं तक की शिक्षा यही से प्राप्त की। प्रारम्भिक अध्ययन में अंग्रेजी शिक्षा के सु.ढ़ होने के कारण ही मैंने उत्तर–प्रदेश लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी विषय को माध्यम बनाया जिसका श्रेय उन्होंने विद्यालय परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीया श्रीमती मधु रानी को याद करते हुए कहा कि शिक्षा की प्रारम्भिक नींव को मजबूत करने में प्रेरणा स्रोत उनका अमूल्य योगदान रहा। कहा कि

मैं अपनी इस सफलता का श्रेय ईश्वर, माता–पिता एवं शिक्षकों को देती हूँ। संदेश रूप में कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगन, मेहनत और आत्मविश्वास अति आवश्यक है। विद्यालय के प्रबंधक सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न छात्र–छात्राओं ने समाज के विभिन्न उच्च पदों पर चयनित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कहा कि "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारे विध्यालय पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विद्यार्थियों को रितिका शुक्ला जैसी छात्राओं से प्रेरणा लेकर उच्च पदों पर नियुक्त होकर परिवार, विध्यालय, समाज एवं देश का नाम रोशन करना चाहिए। प्रधानाचार्या श्रीमती अपर्णा सिंह ने कहा कि जब विद्यार्थी ऐसे पदों पर चयनित होते हैं तो विद्यालय का उत्साह बढता है। " इस अवसर पर तन्मय पाण्डेय, वैभव पाण्डेय, आनंद आर्या, मधु सिंह, प्रीती अस्थाना, शशि पाण्डेय, साक्षी पाण्डेय, रीना त्रिपाठी, श्रद्धा सिंह, अरुण कुमार भट्घ्ट, श्रवण कुमार, तैयब हुसैन, श्र.च. यादव, श्रीकान्त, अनूप वरनवाल, बबलू सरोज, दीपदेव द्विवेदी, मांडवी सिंह, अर्चना, पूनम, सृष्टि उपाध्याय, आकांक्षा, अर्पिता सिंह, पूजा जायसवाल, तपन कुमार घोष आदि शिक्षक–शिक्षिकाओं सहित विद्यालय परिवार के लोग मौजूद रहें।

नौकरी के नाम पर लिए गए लाखो रुपये कराया वापस

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। एनसीएल परियोजनाओं में संविदा ऑपरेटर की भर्ती के नाम पर लाखों रुपए लेने के मामले में शक्तिनगर पुलिस ने एक लोग को गिरतार कर जांच शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी कमलनयन दुबे ने बताया किबस स्टैंड निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपने खाते में लगभग 30 लोगों से कुल लाखों रुपए लेने का मामला सामने आया है। बीना निवासी .ष्णा कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की है।बताया कि नौकरी के नाम पर पैसा देने वाले लोगों का पैसा वापस कराया जा रहा है। वही इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी नौकरी के झांसे में आकर किसी को पैसे न दे। अगर कोई भी व्यक्ति पैसा मांगता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली क्षेत्र की एक निजी कंपनी है जो एनसीएल परियोजनाओं में संविदा ऑपरेटर के टेंडर लिया है। मैनपॉवर सप्लाई के नाम पर लोगों से लाखो रुपये धन उगाही का मामला जोरों पर चल रहा है।

7 वर्षीय परम ने खेलते हुए पिया थिनर साथ ही छोटे भाई को भी पिलाया,सीएचसी में इलाज जारी

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के अमवार चौकी अंतर्गत ग्राम भीसूर निवासी अशोक सिंह के 7 वर्षीय पुत्र परम सिंह ने मंगलवार देर शाम घर में लापरवाही से थिनर के सेवन कर लिया। खेलते हुए उसने जमीन पर रखे झोले से थिनर निकालकर न केवल खुद पिया, बल्कि पास खड़े छोटे भाई प्रियांशु को भी पिला दिया। घटना मंगलवार करीब 6 बजे हुई, जब घर में दरवाजा रंगने का काम चल रहा था। इसी दौरान पिता अशोक सिंह बाहर खड़ी बाइक अंदर ला रहे थे। दरवाजे के पास जमीन पर रखे झोले में रखा थिनर देखकर बड़ा बेटा परम ने उसे पी लिया। जिसके बाद उसने अपने छोटे भाई प्रियांशु को भी पिलाया ,उसने थोड़ा पीने के बाद तुरंत उगल दिया, लेकिन परम की हालत बिगड़ने लगी तो पिता के पूछने पर प्रियांशु ने बताया कि बड़ा भाई ने इसे (थिनर) पिलाया और पिया था। परिजनों ने तुरंत निजी साधन से परम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी पहुंचाया। यहां चिकित्सक डॉ. मनोहर सिंह के मार्गदर्शन में इलाज जारी है। डॉ. सिंह ने बताया कि बच्चे की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। उल्टी कराई जा रही है। स्थिति पर नजर रखते हुए आगे का इलाज किया जाएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया है । उधर जानकारों का कहना है कि थिनर जैसे खतरनाक रसायनों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना अत्यंत जरूरी है।

35 वर्षीय महिला ने अपने ही घर के बढ़ेर में लगाई फांसी ,हुई मौत

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मझौली गांव में आज बुधवार की सुबह एक 35 वर्षीय महिला सितबिया पत्नी मुन्ना पठारी, निवासी मंडलीमहुआ ग्राम मझौली का अपने ही घर के बड़ेर में साड़ी के फंदे से लटकता हुआ मृत अवस्था में शव मिला , जिसे सुबह घर के बढ़ेर से लटकता देखे बच्चे चीखने चिल्लाने लगे बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और स्थानीय पुलिस ग्राम प्रधान को सूचना दिया सूचना पाकर थोड़ी देर में पहुंची कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मृतिका के शव को साड़ी के फंदे से उतरवाया एवं पंचनामा कर पीएम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेजते हुए अग्रिम कार्रवाई जुट गए मृतिका के तीन बच्चे हैं ,वहीं पति घर से छत्तीसगढ़ बीते दिन गया हुआ था।

कार्यालय : ग्राम पंचायत- महदेईया, वि.ख.- लोटन बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **महदेईया** विकास खण्ड–लोटन बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 18.04.2026 को अपराह्न 12.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 17.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **महदेईया** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॉ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़घ्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **महदेईया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

किरन कन्नौजिया
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत- महदेईया
वि.ख. - लोटन बाजार

रविन्द्र जाटव
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत- महदेईया
वि.ख. - लोटन बाजार

कार्यालय : ग्राम पंचायत- लोटन, वि.ख.- लोटन बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **लोटन** विकास खण्ड–लोटन बाजार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्युत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 17.04.2026 को अपराह्न 12.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 16.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **लोटन** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॉ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़घ्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **लोटन** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रदीप कुमार मोदनवाल
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत- लोटन
वि.ख. - लोटन बाजार

रविन्द्र जाटव
ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत- लोटन
वि.ख. - लोटन बाजार

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रकः– श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स , ज्योति नगर मधुकरपुर, निकट–हीरो होण्डा एजेन्सी, जनपद–सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) 272207 से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक– राजेश कुमार शर्मा
आर.एन.आई. नं.–UPHIN/2012/49458 9415163471, 9453824459 दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917,9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट. के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन समस्त विवाद जनपद–सिद्धार्थनगर न्यायालय के अधीन ही मान्य होगा।

सेव सेल्फ यात्रा .को राष्ट्रीय मिशन बनाने की दिशा में बड़ा कदम : आयुष मंत्री

दैनिक बुद्ध का संदेश

दिल्ली। भारत की आध्यात्मिक और स्वास्थ्य परंपराओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में ब्रह्मर्षि श्री भारत भूषण भारतेंदु जी महाराज पालघर पीठाधीश्वर और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव का दिल्ली में विशेष मुलाकात एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सेव सेल्फ यात्रा पहल को उस समय नई गति मिली जब भारतेंदु महाराज एवं उनकी टीम ने माननीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव से भेंट की।यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्रीय अभियान की नींव थी जो भारत के प्राचीन ज्ञान.योग, आयुर्वेद और प्रा.तिक चिकित्सा.को आधुनिक समय के साथ जोड़कर जन–जन तक पहुँचाने का संकल्प रखता है। बैठक के दौरान "सेव सेल्फ यात्रा को एक आधिकारिक राष्ट्रव्यापी मिशन के रूप में आगे बढ़ाने हेतु सकारात्मक सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ।इस अवसर को और भी विशेष बनाते हुए भारतेंदु महाराज ने अपनी दिव्य बांसुरी वादन से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत यह संगीत केवल एक कला प्रदर्शन नहीं, बल्कि सकारात्मक कंपन और चेतना को जागृत करने का एक माध्यम था, जिसने उपस्थित

सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया।टीम "सेव सेल्फ यात्रा द्वारा माननीय मंत्री को भगवान श्री .ष्ण की .पा प्रतीक स्वरूप बांसुरी भी भेंट की गई। साथ ही नासिक कुंभ में प्रस्तावित "अमृत स्नान योग" विश्व रिकॉर्ड के लिए आधिकारिक पत्र, सहयोग प्रस्ताव और विस्तृत .ष्टि दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।"अमृत स्नान योग" पहल इस पूरे अभियान का केंद्रीय तत्व बनकर उभर रही है। योगीराज जी के मार्गदर्शन में यह एक ऐसा जनआंदोलन बनने जा रहा है जिसमें पूर्णिमा स्नान के पावन अवसर पर कम से कम 10 लाख लोगों को एक साथ.डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों से.जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजन में देश–विदेश से असीमित संख्या में लोग भाग लेकर सामूहिक चेतना, शुद्धि और स्वास्थ्य का अनुभव कर सकेंगे।इस पहल की विशेषता यह है कि यह केवल योग तक सीमित नहीं है, बल्कि योग,आयुर्वेद और प्रा.तिक चिकित्सा को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य करेगी। इसका उद्देश्य एक ऐसा स्वस्थ, जागरूक और संतुलित समाज निर्माण करना है, जहाँ व्यक्ति केवल रोगमुक्त ही नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो।"सेव सेल्फ यात्रा अवेकन भारत " को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ जागरण मुहिम के रूप में विकसित करने की दिशा में यह पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक मजबूत संरचना तैयार करने की ओर संकेत करती है। नासिक सिंहस्थ कुंभ जैसे विशाल आध्यात्मिक आयोजन में "अमृत स्नान योग" के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास न केवल भारत की सांस्.तिक शक्ति को प्रदर्शित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार की पहल को व्यापक जनसमर्थन और संस्थागत सहयोग मिलता है, तो यह भारत को "ग्लोबल वेलनेस लीडर" के रूप में स्थापित करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

पिकनिक स्पॉट का किया जाएगा विकास-जिलाधिकारी

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाओं को .ष्टिगत रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास हेतु करोड़ों रुपये की धनराशि स्वी.त की गई है। इस योजना के अंतर्गत शिवद्वार मंदिर (घोरावल), राजा नल मंदिर, राम मंदिर (विढ़मगंज) एवं खैरटिया पिकनिक स्पॉट का समग्र विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन स्थलों पर सौंदर्यीकरण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु हॉल, शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इन स्थानों पर वर्ष भर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आवागमन बना रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इन मंन्दिरों को व्यवस्थित एवं आकर्षक रूप देने की योजना बनाई गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बाहरी पर्यटकों की संख्या मेंभी वृद्धि होगी, जिससे जनपद की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पर्यटन अधिकारी श्री राजेश भारती ने बताया कि जनपद के अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को भी चिन्हित कर उनके विकास हेतु प्रस्ताव शासन को जिलाधिकारी के निर्देशन मेंभेजे जा रहे है ताकि सोनभद्र को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

कार्यालय : ग्राम पंचायत- सईलंगडी, वि.ख.- मेहदावल, जनपद- संतकबीरनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सई लंगडी** विकास खण्ड़–मेहदावल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 10.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 09.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **सई लंगडी** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सई लंगडी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नीतू पाठक	**अभिनव रवि वस्त**
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	**ग्राम विकास अधिकारी/सचिव**
ग्राम पंचायत–सईलंगडी	**ग्राम पंचायत–सईलंगडी**
वि.ख. – मेहदालव	**वि.ख. – मेहदालव**

कार्यालय : ग्राम पंचायत- भिटिया कला, वि.ख.- मेहदावल, जनपद- संतकबीरनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भिटिया कला** विकास खण्ड़–मेहदावल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 10.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 09.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **भिटिया कला** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भिटिया कला** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

राहुल देव मिश्र	**संजय कुमार**
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	**ग्राम विकास अधिकारी/सचिव**
ग्राम पंचायत–भिटिया कला	**ग्राम पंचायत–भिटिया कला**
वि.ख. – मेहदालव	**वि.ख. – मेहदालव**

कार्यालय : ग्राम पंचायत- दुल्हादरम्यानी, वि.ख.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **दुल्हादरम्यानी** विकास खण्ड़–बर्डपुर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 06.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 05.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **दुल्हादरम्यानी** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **दुल्हादरम्यानी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शिवसागर	**नागेंद्र राव**
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	**ग्राम विकास अधिकारी/सचिव**
ग्राम पंचायत–दुल्हादरम्यानी	**ग्राम पंचायत–दुल्हादरम्यानी**
वि.ख. – बर्डपुर	**वि.ख. – बर्डपुर**

कार्यालय : ग्राम पंचायत- दुल्हाखुर्द, वि.ख.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **दुल्हाखुर्द** विकास खण्ड़–बर्डपुर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 06.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 05.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **दुल्हाखुर्द** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **दुल्हाखुर्द** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

दुल्हाखुर्द	**नागेंद्र राव**
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	**ग्राम विकास अधिकारी/सचिव**
ग्राम पंचायत–दुल्हाखुर्द	**ग्राम पंचायत–दुल्हाखुर्द**
वि.ख. – बर्डपुर	**वि.ख. – बर्डपुर**

कार्यालय : ग्राम पंचायत- दुल्हाजनूबी, वि.ख.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **दुल्हाजनूबी** विकास खण्ड़–बर्डपुर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 07.04.2026 को अपराह्न 10.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 11.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 06.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **दुल्हाजनूबी** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **दुल्हाजनूबी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

रमेश चंद्र	**नागेंद्र राव**
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	**ग्राम विकास अधिकारी/सचिव**
ग्राम पंचायत–दुल्हाजनूबी	**ग्राम पंचायत–दुल्हाजनूबी**
वि.ख. – बर्डपुर	**वि.ख. – बर्डपुर**

कार्यालय : ग्राम पंचायत- बरगदवा, वि.ख.- बर्डपुर, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बरगदवा** विकास खण्ड़–बर्डपुर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/राज्य वित्त/चौदहवां वित्त/पिछड़ क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों एंव विद्यृत उपकरण आदि के इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांकः 07.04.2026 को अपराह्न 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांकः 06.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय **बरगदवा** में नियमानुसार निविदा मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मु. 5000 (पांच हजार) रुपये होगी।

नियम व शर्त :–

1. जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगाॅ उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा। 2. आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा। 3. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेण्ड़र खोला जायेगा। 4. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी। 5. जो दरें प्रस्तुत की जाय वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़ध्कर प्रस्तुत की जाये। 6. सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान के आदेशपर ही की जायेगी। 7. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है,आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। 8. ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानॉ सचिवॉ सदस्यॉ बी.ड़ी.सी./जिला पंचायत तकनीकी सहायक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा दरें प्रस्तुत नहीं की जायेगी। 9. प्रस्तुत दरें पी.ड़ब्लू.ड़ी. द्वारा पंजीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा।,निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा। 10.स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। 11. धरोहर की धनराशि नकद राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफड़ी एवं एनएससी/ड़ाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बरगदवा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है। 12. आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 13.निविदा फार्म ग्राम पंचायत सजनी कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 500/– रूपये पर ही स्वीकार किया जायेगा। 14.सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तं व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत सजनी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अनिल कुमार गुप्ता	**नागेंद्र राव**
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष	**ग्राम विकास अधिकारी/सचिव**
ग्राम पंचायत–बरगदवा	**ग्राम पंचायत–बरगदवा**
वि.ख. – बर्डपुर	**वि.ख. – बर्डपुर**